Kind Attn Shri NAS Ansari Ex.Engr.

REGD. NO. D. L.-33004/99 1/9

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2008/वैशाख 2, 1930
No. 528] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2008

का. आ. 900(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1585(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2005, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के कि. मी. 9.20 से कि. मी. 100.00 (नागपुर-कोंडाली-तालेगांव सेक्शन) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के कि.मी. 50.00 से कि.मी. 100.00 (कोंडाली-तालेगांव खण्ड) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) के विकास के लिए मैसर्स ओरियंटल पाथवेज (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 21, कमर्शियल काम्पलेक्स, मालचा मार्ग, डिपलोमेटीक इंक्लेव, नई दिल्ली-110021 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''रियायतग्राही'' कहा गया है) के साथ निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बी ओ टी) आधार पर करार किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के निर्माण करने, अनुरक्षण करने, प्रबंध और प्रचालन करने में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि महाराष्ट्र राज्य में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के कि. मी. 50.00 से कि. मी. 100.00 (कोंडाली-तालेगांव खण्ड) के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, उक्त करार की समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2/9

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, के 50.00 कि.मी. से 100.00 कि.मी. खंड (कोंडाली - तालेगांव खंड) के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली आधार फीस की दरें ।

फीस का संग्रहण करंजा (**कि.मी.76.000 पर**) पर किया जायेगा

क्रम संख्या	**यान का प्रकार**	**आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रूपए प्रति कि.मी.)**
1.	**2.**	**3.**
1.	मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यक यान	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (> दो धुरीय)	2.25
5.	भारी सर्निमाण मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	3.00

टिप्पण :-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त अनुसूची में दी गई आधार फीस की दर के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के सड़क उपयोक्ताओं से प्रभारित की गई अभिप्रेत है और वह फीस निकटतम 5 रूपए में पूर्णांकित की जाएगी ;

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के चार लेनों के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शदाता पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, यथास्थिति जारी करने के पश्चात् महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के उक्त खंड का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया जाता है ;

(iii) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार समाप्त होता है अथवा समापन सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ;

(iv) "स्थानीय निजी यातायात" से अभिप्रेत और सम्मलित है किसी निजी वाहन (कार/यात्री वैन/जीप) जो किसी व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत है जो सामान्यतः ऐसी जगह रहता है अथवा ऐसी जगह काम करता है जहाँ पहुँचने के लिए सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के एक भाग को ही उपयोग करना होता है और अतः उस व्यक्ति को अपने कार्य स्थान या निवास स्थान से सामान्य यात्रा के दौरान उक्त सेक्शन के एक भाग पर ऐसे यानों को चलाना पड़ता है ;

(v) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से सवारियों और माल को लाने व ले जाने में लगी यानों या टैक्सियों साहित कोई बसों, ट्रकों, हल्के मोटरीकृत ऐसे वाणिज्यिक वाहन अभिप्रेत है जो उक्त सेक्शन पर नैत्यक रूप में चलने के लिए रियायतग्राही के पास राजिस्ट्रीकृत हैं ;

(vi) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं; और परिभाषित नहीं हैं किंतु महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं ।

3/9

2. फीस की आधारिक दर, प्रत्येक वर्ष में एक बार उक्त करार के प्रचालन अवधि के दौरान प्रत्येक ऐसे वर्ष की 1 सितम्बर को पुनरीक्षित की जायेगी और पुनरीक्षित फीस की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :-

आधार फीस X $\frac{\text{डब्ल्यू पी आई-बी}}{\text{डब्ल्यू पी आई-ए}}$

अर्थातः

डब्ल्यू पी आई-ए = जून, 1997 को थोक मूल्य सूचकांक (131.4)
डब्ल्यू पी आई-बी = फीस पुनरीक्षण की तारीख से पहले 31 मार्च को थोक मूल्य सूचकांक

3. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्निलिखित छूट दरों से अधिक कोई फीस संगृहीत नही करेगा, अर्थात् :-

(क) स्थानीय निंजी यातायात : **विनिर्दिष्ट श्रेणी के यान के लिए लागू** फीस का पच्चीस प्रतिशत ;

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : **विनिर्दिष्ट श्रेणी के यान के लिए लागू** फीस का पचास प्रतिशत ;

4. जब वही यान उक्त सेक्शन को चौबीस घंटे में एक से अधिक बार पार करना हो तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही सेक्शन पार करते समय अधिसूचित दर के डेढ गुने का संदाय कर सकेगा । यदि यान का उपयोग बार बार करना पडता है तो यान का अधिभोगी या उपयोक्ता अधिसूचित दर के तीस गुने के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकेगा । इस पैरा के उपबंध उपरोक्त पैरा 3 के स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात पर लागू नहीं होंगे. ।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नही की जाएगी, अर्थात :-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;
(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
(ड़) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की हो, यदि वे स्वयं यान में हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या सबंधित राज्यों में विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे भी है जो भारतीय पथकर (सेना ओर वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

6. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसको शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकीयों से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शित बोर्डों की ऊँचाई तथा अक्षरों का आकार ऐसा हो कि चालकों के लिए संप्रदर्शित बोर्डों को पढना सहज हो ।

7. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (इनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीसों के प्रभावी होने से 10 दिन पहले पुनः प्रकाशित भी किया जाएगा ।

8. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की गणना, रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथा शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी प्राधिकरण को फीस पुनरीक्षण प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथाशीघ्र किंतु फीस पुनरीक्षण प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर टिप्पणी भेजेगा या स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करेगा । यदि प्राधिकरण संशोधित फीस की इस अवधि में कोई टिप्पणी देने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए समर्थ किया जा सकें और यदि प्राधिकरण कोई टिप्पणी नही देता है या स्पष्टीकरण नही मांगता है तो प्राधिकरण द्वारा उसकी पुष्टि की हुई समझी जाएगी ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37013/8/2008-पी आई सी]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2008

S.O. 900(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1585 (E), dated the 10th November, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central

5/9

Government has entrusted the section of national highway from Km 9.20 to Km 100.00 (Nagpur – Kondhali – Talegaon Section) of National Highway No. 6 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s. Oriental Pathways (Nagpur) Private Limited, having it's Registered Office at 21, Commercial Complex, Malcha Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi – 110 021 (hereinafter referred to as "Concessionaire") for the development of the Kondhali – Telegaon section from Km 50.00 to Km 100.00 ((hereinafter referred to as the said section) of the national highway No. 6 on Built, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways / Permanent Bridge / Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said national highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire , hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch from Km 50.00 to Km 100.00 (Kondhali – Talegaon) of national highway No. 6 in the State of Maharashtra at the rates specified in the Schedule annexed to this notification and authorises the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation of the said section or publication the notification in the Official Gazette, whichever is later till the termination date.

SCHEDULE

Rates of base fees to be recovered from the users of the section from Km 50.000 to Km 100.000 (Kondhali – Talegaon Section) of the National Highway No. - 6 in the State of Maharashtra.

The fee shall be collected at Karanja (Km 76.000).

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fee per vehicle per one way trip per km (In Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle(LCV)	0.70
3.	Truck or Bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (> 2 axle)	2.25
5	Earth moving equipment and heavy construction machinery.	3.00

6/9

Notes:

(1) For the purpose of this notification;

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section of national highway on the basis of rate of base fee given in the said schedule and shall be rounded off to the nearest five rupees.

(ii) "date of commercial operation" means the date on which the commercial operation of the said section of national highway No. – 6 in the State of Maharashtra begins after the issue of the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, upon completion of four laning of the said section of the said national highway in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(iv) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle (car/passenger van/jeep) which is registered with the Concessionaire by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section of national highway and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

(v) "Local Commercial Traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section;

(vi) Words and expressions used in this notification but not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section of national highway in the State of Maharashtra shall have the meaning respectively assigned to them in the said agreement.

2. The base rate of fee shall be revised once in every year with effect from 1st September of each such year during the operation period of the said agreement and the revised fee shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}}$$

Where

WPI-A = is the Wholesale Price Index as on June 1997 (131.4)

WPI-B = is the Wholesale Price Index as on 31st March, preceding the fee-revision date.

7/9

3. The Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in excess of the following discounted rates, namely:-
   (a) Local Personal Traffic : twenty five per cent of the applicable fees for the specific category of vehicle.
   (b) Local Commercial Traffic : fifty per cent of the applicable fees for the specific category of vehicle.

4. When the same vehicle has to cross the said section more than once within a span of 24 hrs., the user shall have the option to pay one and half time of notified rate while crossing the section in the first trip itself. If the vehicle has to use the facility frequently, the vehicle occupier or user can have a monthly pass on the payment of charges equal to 30 times notified rate. The provision of this para shall not be applicable for Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic vide para 3 above.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely :-
   (i) Vehicles-
   (A) having "VIP" symbols or officially belonging to:-
   (a) President of India,
   (b) Vice-President of India
   (c) Governor of a State and Lt. Governor of a Union Territory
   (d) a Foreign dignitary on State visit to India, and
   (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates.
   (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; Or
   (g) Members of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his Identity Card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State as the case may be

   (B) Belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo Identity Card duly authenticated by the Competent Authority for such award

   (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

8/9

(iii) Police vehicles, Fire Fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. The rates of fees, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 metres ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

7. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

8. The actual fees to be charged to users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year, but atleast forty-five days before the revised rate is to be made effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications as soon as possible upon receipt of the fee revision proposal but not later than fifteen days of receipt of the fee revision proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarification during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. RW/NH-37013/8/2008-PIC]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.